

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.11(6)नविवि/फलौदी/2024

दिनांक :

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 01.05.2012 के क्रम में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत अनुमोदित फलौदी मास्टर प्लान-2023 की समयावधि दिनांक 31.12.2024 को समाप्त हो रही है, को एतद्द्वारा 01 वर्ष/दिनांक 31.12.2025 अथवा नया मास्टर प्लान प्रारूप का प्रकाशन होने तक जो भी पहले हो, के लिए बढ़ाया जाता है।

यह मास्टर प्लान इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28.01.1999 के द्वारा अधिसूचित "फलौदी नगरीय क्षेत्र" के लिए लागू रहेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर।
5. जिला कलक्टर, फलौदी।
6. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
7. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद फलौदी, जिला फलौदी।
9. प्रोग्रामर, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाये जाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम